केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादून (उत्तराखण्ड)

Central Board of Secondary Education
Regional Office – Dehradun (Uttarakhand)

फः केoमाoशिoबोo / क्षेoकाo / देoदून / परीक्षा–12वीं / 2023 / 80048 / 2133714 — दिनांक : 10.08.2023

F: CBSE/RO/DDN/EXAM-XII/2023/SCH-80048/Aff.No 2133714 — **Date : 10.08.2023**

प्रधानाचार्य (80048)

गायत्री गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल,

ग्राम, बिलासपुर, रामपुर,

उत्तर प्रदेश - 244921

विषय : सीनियर सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेड किये जाने के संबंध में।

Sub: Upgradation up to Senior Secondary level- Reg.

महोदय / महोदया,

Sir/Madam,

उपरोक्त विषयक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, के पत्र संख्या **सीबीएसई/2133714/एसएस-90599-2324/2023-24/ दिनांक** 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके विद्यालय को **05** वर्षों की अवधि दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2028 तक के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर अनुमत विषयों के साथ (जैसा की अपग्रेडेशन पत्र में उल्लेखित है) अपग्रेड कर दिया गया है। बोर्ड से सेकेंडरी स्तर तक संबद्ध विद्यालय होने व क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून परिक्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित होने के सापेक्ष, आपके विद्यालय को बोर्ड द्वारा पूर्व में ही विद्यालय कोड़ **80048** आवंटित किया जा चुका है। चूंकि, बोर्ड द्वारा विद्यालय को अब सीनियर सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेड किया गया है, तो विद्यालय को छात्रों के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास हेतु सभी क्षेत्रों व क्रियाकलापो / गतिविधियों में स्वयं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, चाहे वह शैक्षिक हो, या सह–शैक्षिक, विद्यालय को शैक्षिक मानको पर विशेष ध्यान देते हुए मजबूत करना चाहिए।

This has reference to CBSE HQs letter no. **CBSE/2133714/SS-90599-2324/2023-24/ dated 31.07.2023** regarding upgradation of the school for Senior Secondary Examination of the Board for a period of **05 years w.e.f. 01.04.2023 to 31.03.2028** with the subject mentioned in the upgradation letter. Being an affiliated school up to secondary level and located under the jurisdiction of CBSE, Regional Office Dehradun, your school has been already allotted School Code – **80048** and the school has grown to its present stature. Now, the school after getting upgradation needs to upgrade itself in all activities of scholastic or co-scholastic for all round development of the students.

बोर्ड द्वारा विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए अपग्रेड किया गया है, जिसके लिए यह कार्यालय आपके विद्यालय का बोर्ड परिवार में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के रूप में हार्दिक स्वागत करता है, साथ ही यह भी आशा करता है कि, विद्यालय समाज / राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के मानको को स्थापित करने के साथ–साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका निभाये। बोर्ड से सम्बद्ध होने के तहत विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है कि, विद्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित क्रियाकलापों एवं संबद्धता एवं परीक्षा उप–नियमों में निहित प्रावधानों व बोर्ड

द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें, इसके अतिरिक्त विद्यालय नियमित तौर पर बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट www.cbse.gov.in को विजिट करता रहे, साथ ही विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को भी बोर्ड के उप–नियमों, नियमों, प्रावधानों व विषय पाठ्यक्रम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कराने हेतु उक्त समस्त विधियों का पूर्ण रूपेण अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करें, तथा विद्यालय अपग्रेड अनुमत पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।

While complimenting the school for its upgradation to Senior Secondary level, this office welcomes your school as a strong arm and senior member of CBSE to take a bigger role and responsibility for establishing it as a premier abode of education to serve the Society/Nation. Being a CBSE affiliate, it becomes imperative on the part of school to follow the provisions contained in the CBSE Affiliation & Examination Bye-laws, including instructions issued by the Board from time to time. In order to keep itself updated, the school must visit the website of the Board i.e, www.cbse.gov.in regularly and also motivate, encourage, the teachers and other staff for thorough study of the Bye-laws, Rules, Provisions and Syllabus Curriculum and various other activities of the Board. The school needs to fulfil all the conditions given in the upgradation letter including the following :-

1. विद्यालय प्रवेश/परीक्षा के प्रकरणो पर बोर्ड के परीक्षा उप–नियम के नियम 6.1 और 12 (i, ii, & iii) के अनुसार निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया का पालन करने के साथ–साथ आयु मानदंड का भी विशेष रूप से ध्यान रखे। विद्यालय छात्रों के विद्यालयी रिकॉर्ड जैसे कि, प्रवेश फॉर्म, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और प्रवेश विड्रॉल रजिस्टर, को विद्यालय में संरक्षित रखें, जिसके नमूने बोर्ड द्वारा विद्यालय को सेकेंडरी की सम्बद्धता प्रदान करने के समय दिये गये थे, जिससे कि, परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के दस्तावेजों/फार्मेटों में समरूपता सुनिश्चित हो सके, साथ ही विद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि, प्रवेश के समय छात्रों द्वारा भरे गए प्रवेश फार्म के सभी विवरण को पुष्टि करने हेतु सभी पब्लिक दस्तावेज व पिछले विद्यालय या कक्षा का रिकॉर्ड, माता–पिता के सर्विस रिकॉर्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., पार्सपोर्ट के साथ–साथ पिछले विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप भरा हो, जैसे कि, छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि इति० जिससे कि, परिणाम उपरान्त भविष्य में होने वाले संसोधनो, त्रुटियों एवं सुधारों से बचा जा सके।

   Admission to the school/examination is to be restricted as per Rule 6.1 and Rule 12 (i, ii, & iii) of Examination Bye-laws. While granting admission, required documentation and procedure prescribed by the Board must be adhered to, and special care be taken about eligibility in terms of age factor. The school shall ensure to properly keep the **School Records i.e. Admission Form, Transfer Certificate and Admission Withdrawal Register** to maintain complete record(s) of the students, for which **sample formats were provided at the time of secondary affiliation**, in order to ensure uniformity of the documents among all the schools of the Region/CBSE. Correct particulars of the students viz. **Candidate Name, Mother's Name, Father's Name, Date of Birth, etc.** be captured during admission, strictly on the basis of viable documentary records viz. Class-X documents, **Service Records of parents, Aadhaar, Voter ID, Passport, vis-a-vis previous school records of candidates,** wherever applicable, so as to avoid post-result corrections.

2. दाखिलों / प्रवेश के सम्बन्ध में यह कि, जिस कक्षा के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है, उसके लिए न्यूनतम आयु पात्रता मानदंड सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सम्बन्धित विद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला छात्र उस कक्षा में प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा, जब वह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा (न्यूनतम) की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अधिकांश राज्य सरकारों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन / नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अपनाई गई कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सामान्य मानदंड के अनुसार निर्धारित आयु का अनुपालन किया जाता है, तदनुसार एक छात्र की आयु का निर्धारण होना चाहिए।

The admission be granted only after **ascertaining the age eligibility criteria** for a particular class in which Admission is being sought. A student seeking admission to any class in a 'School' will be eligible for admission to that Class only if he/she satisfies the requirements of age limits (minimum and maximum) as determined by the State / UT Government and applicable to the place where the School is located. The prescribed age is followed as per the general criteria for admission in Class I as adopted by most of the State Governments and Kendriya Vidyalaya Sangathan/Navodaya Vidyalaya Samiti, accordingly the age limit of a student should be determined.

3. चूंकि सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विषयों एवं ततसम्बन्धी थियोरी एवं प्रेक्टीकल/प्रोजेक्ट आदि के कम्पोनेंट ऑफ मार्क्स कि स्थिति नियमानुसार लागू होती है इसलिए विद्यालय विशेष रूप से ध्यान रखे कि, विद्यालय छात्रों को उन्ही विषयों को पढ़ाये, जिनकी अनुमति बोर्ड द्वारा अपग्रेडेशन पत्र के माध्यम से विद्यालय को दी गई हो तथा अन्य कोई विषय बिना बोर्ड की स्वीकृति के न पढ़ाया जाए।
The school will ensure that the Subjects being taught in the school are strictly as approval given in the upgradation letter and no other Subject be taught without approval.

4. विद्यालयों को विभिन्न स्तरों पर अति सतर्कता एवं नियमों के अनुपालन मे कार्यवाही किए जाने की बाध्यता है तद्नुसार नियमानुसार सम्द्धता प्राप्त विद्यालय सुनिश्चित करेः–

The school being Affiliated Institution of the CBSE must take care about rules / regulations & following of provisions of Examination / Affiliation Bye Laws with time to time instructions etc.

- As per Rule 14.2.1, Every affiliated school shall present a list of exact number of students and their particulars in respect of Classes IX, X, XI & XII at the time of beginning of an academic session in the manner prescribed by the Board.
- As per Rule 14.2.2, No affiliated school shall present those candidates to the Board's examination who are not on its rolls. Also, no school is allowed to promote NON-ATTENDING culture of classes by the students.
- As per Rule 14.2.3, No affiliated school shall present those candidates to the Board's examination who are enrolled in an unaffiliated School/Branch. Also, No school is allowed to grant the admissions more than the limit of sections granted to the school by CBSE HQs Delhi, otherwise, at the event of no place/space for registration in the classes, the school itself will be held responsible.

- As per Rule 14.2.4, No affiliated school shall present those candidates to the Board's examination who are on its roll but have not attended the school regularly or do not meet the requirement of minimum attendance for appearance in the Board's examination.
- As per Rule 14.2.5, Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation / upgradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
- As per Rule14.2.6, The school affiliated to the Board shall not sent candidates for examination of any other Board/ University. It shall prepare candidates for the Secondary and Senior Secondary Examinations of the CBSE only. For Skill subjects, only those subjects can be offered for which permission has been given by the department of Skill Education, CBSE, Delhi.

5. बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के अनुलग्नक–V के अनुसार विद्यालय केवल उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के अनुसार वर्गों की संख्या को सीमित करेगा। किसी कक्षा के एक सेक्शन में छात्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके अतिरिक्त और विद्यालय के मिडिल एवं सेकेंडरी स्तर पर छात्रों की संख्या एक दूसरे के अनुपात में होनी चाहिए। विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अनुभाग–शिक्षक अनुपात 1:1.5 बनाए रखा जाएगा और स्कूल बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित आधार पर योग्य और प्रशिक्षित शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

   The school is required to restrict the number of sections as per the infrastructure facilities available in the school as per Appendix–V of Affiliation Bye-laws. The optimum number of students in a Section of a class should not be more than prescribed number of students in a section at Middle and Secondary level of the school shall preferably be proportionate to each other. The Section-Teacher ratio of 1:1.5 to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye-laws of the Board.

6. संबंद्धता उप–नियम के नियम 14.4 के अनुसार, बोर्ड से संबद्ध संस्थानों/विद्यालयों के भवन और फर्नीचर को बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन और स्पॉट मूल्यांकन के सफल संचालन हेतु निशुल्क उपलब्ध कराएगा। विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य द्वारा, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं, मूल्यांकन एवं अन्य गतिविधियों हेतु बोर्ड को पूर्ण सहयोग करेगा। यदि बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो विद्यालय द्वारा प्रस्तावित सभी विषयों के परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय शिक्षक और प्रधानाचार्य प्रदान करेगा, यदि विद्यालय ऐसा करने में विफल रहता हैं, तो बोर्ड को विद्यालय की सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

   As per Rule 14.4, the building and furniture of Affiliated Institutions shall be placed at the disposal of the Board for conducting any examination and spot evaluation free of charge. The management and the Principal shall cooperate with the Board in the conduct of examinations, evaluation of scripts and other ancillary activities. If directed by the Board, the School shall provide Teachers and Principal to act as examiners in all subjects offered by the

School. In case they fail to do so, the Board shall have the right to take appropriate action including initiating action for disaffiliation of the School.

7. एन.ई.पी 2020 में सीखने और सीखने के महत्व पर जोर दिया गया है, ताकि स्कूल छात्रों के समग्र विकास का केंद्र बन सके, इसलिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और खेल को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानते हुए, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और खेल की स्थिति परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 04-10-2022 के अनुसार होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता प्राप्त विद्यालय कक्षा 09वीं एवं 12वीं हेतु निर्धारित नियमों/आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं और खेलों के उपकरणों सहित उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे।

The NEP 2020 has emphasized the importance of hands on learning and learning by doing, so that school may become centre for holistic development of students therefore, considering of the Labs, Library & Sports as integral part of learning process, the status of Labs, Laboratory & Sports must be as per Circular letter no. 11/2022 dated 04.10.2022. The schools up to Senior Secondary Level will provide suitable facilities including the equipment in laboratories/workshops and games for Classes IX and XII as per requirements laid down in rules.

8. संबद्धता उपनियमों के नियम संख्या 2-4-9के अनुसार प्रत्येक संबद्ध स्कूल को स्वयं की वेबसाइट विकसित करनी होती है जिसमें संबद्धता की स्थिति, बुनियादी ढांचे का विवरण,शिक्षकों का विवरण, छात्रों की संख्या, पता–डाक, ई–मेलटेलीफोन नंबर,जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की प्रतियां आदि जैसी व्यापक जानकारी उपलब्ध हो, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वेबसाइट में शुल्क के संबंध में जानकारीस्कूल के पास उपलब्ध संकाय और स्कूल परिसर के बारे में सभी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावास्कूल, नियमों के अनुसार,जारी की गयी टी.सी. की स्थिति को भी आवश्यक रूप से स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

As per Rule no. 2.4.9 of Affiliation Byelaws every affiliated school is required to **develop their own website** containing comprehensive information such as affiliation status, details of infrastructure, details of teachers, number of students, address-postal and e-mail, telephone nos., copies of Transfer Certificates issued etc. as may be directed by the Board from time to time. The website so created should also have information with regard to fees charged, faculties available with the school and all information about the school campus. Further, the school may ensure uploading of TC issued status on School (s) Website for needful as per rules.

9. बोर्ड द्वारा समस्त सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के लिए जारी परिपत्र संख्या 05/2018 दिनांक 27.03.2018, शीर्षक "विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा" के तहत जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने से सम्बन्धित है। विद्यालय परिसर और विद्यालय परिवहन प्रणाली, यदि कोई हो, विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि ट्रांसपोर्ट सुविधा के तहत सभी बसों एवं वाहनों के माध्यम से आवागमन में बच्चों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

The school is required to follow the safety guidelines as issued by the Board vide Circular No. Affiliation 05/2018 dated 27.03.2018 captioned 'Safety of Children in schools' and shall ensure absolute safety of the children in school premises and transit thru school transport system, if any.

10. बोर्ड के नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय को सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के स्थानीय स्कूल सहोदया ग्रुप का सदस्य बनना चाहिए, विद्यालय के शैक्षणिक विकास में आपसी सहयोग व विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में भागीदारी होना नितांत अनिवार्य है, अथवा हितधारकों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने के साथ नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित करें।

    It is necessary for every affiliated school to become a member in the local Sahodaya of CBSE schools and ensure participation in activities being carried out by the Sahodaya School Complex in the academic development of the school. Needs to maintain Healthy relationship with the stakeholders, follow the rules/regulations as prescribed.

11. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं किसी भी पत्राचार व समस्या के समाधान सूचना इति हेतु बोर्ड द्वारा ऐतियातन व्यवस्था की है कि, विद्यालय बोर्ड की आधिकारिक ई–मेल आईडी (80048@cbseshiksha.in) का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, जिसमे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवंटित पांच आंको का विद्यालय कोड़ सम्मिलित हो।

    School should mandatory use the email id 80048@cbseshiksha.in, as made available by this office (5 - Digit School code allotted by the Regional Office).

12. बोर्ड द्वारा समय–समय पर आयोजित सीबीपी/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के लिए विद्यालय को अपने शिक्षकों को अनिवार्य रूप से नामांकित करना होगा, व कार्यक्रम में भागीदारी हेतु शिक्षकों के कार्यमुक्ति की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करनी होगी।

    School must nominate its teachers for CBPs/Training/Workshops conducted by the Board from time to time and ensure relieving for participation as per schedule / directions.

13. प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय और खेल में बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सभी संबद्धता प्राप्तविद्यालय बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में समीक्षा करें। यदि वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं में कोई कमी है, तो इसे सभी मापदंडों और आवश्यक सामग्री के साथ अपडेट किया जाए, श्रेणीबद्ध मदों का संक्षिप्त विवरण सूचना और अनिवार्य रूप से कार्यान्वयन हेतु निम्न है :–

    Infrastructure and facilities in the Laboratories and Library & Sports: - All affiliated schools may review about the availability of infrastructure. In case, there is any short fall in present available facilities, the same may be updated with all parameters and required material, the brief of the categorical items are given hereunder for information and implementation mandatorily: -

क. प्रयोगशालाएं :– प्रयोगशालाओं का उद्देश्य छात्रों को प्रयोगशाला प्रयोगों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के अवसर पैदा करना है, जिससे कि,सैद्धांतिक अवधारणा और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके प्रयोग के बीच के गैप को पाटा जा सके। यदि विद्यार्थी विभिन्न प्रयोगशाला अभ्यासों में भाग लेते हैं तो वह तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल भी सीख सकते हैं।

Laboratories :- Laboratories aim to create opportunities to provide students with hands-on experience of laboratory experiments, to bridge the gap between theoretical concept and their application in everyday life. Students can also learn technological and scientific skills if they participate in various laboratory exercises.

ख. पुस्तकालय और खेल पुस्तकालय छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के समग्र विकास में एक मौलिक भूमिका निभाता है। यह विभिन्न शैक्षणिक संसाधन प्रदान करता है, जैसे शैक्षिक सामग्री, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक प्रकाशन, तकनीकी अनुसंधान आदि। पुस्तकालय छात्रों के बीच संचार कौशल (पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना) विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल छात्रों में धैर्य, अनुशासन, विफलता से सीखने, खेल कौशल, टीम वर्क, नेतृत्व आदि जैसे विभिन्न कौशल विकसित करता हैं साथ ही छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देता हैं।

Library & Sports :- Library plays a fundamental role in learning process holistic development of students. It provides various academic resources, such as educational materials, trainings courses, scientific publications, technological research etc. Library also plays important role to develop communication skills (reading, writing, speaking and listening) amongst the students. Sports develop the various skills in the students like patience, discipline, learning from failure, Sportsmanship, teamwork, leadership etc. and contribute to the physical & mental well being of the students.

14. विद्यालय,शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और सीबीएसई / संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगा। विद्यालय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेगा।

The school shall follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State / UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.

15. विद्यालय के पास संबद्धता और परीक्षा उपनियम, संदर्भ उद्देश्य के लिए हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय को सलाह दी जाती है कि, वह सभी परिपत्रों के लिए बोर्ड की वेबसाइट i.e., www.cbseacademic.nic.in / www.cbse.nic.in, को नियमित रूप से विजिट करें क्योंकि कक्षा IX/XI पंजीकरण और बोर्ड परीक्षा कक्षा X / XII के लिए उम्मीदवारों की सूची जमा करने सहित बोर्ड की अधिकांश गतिविधियां ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं।

The school should keep Affiliation and Examination Bye Laws readily available for reference purpose. The School is advised to visit website of the Board i.e., www.cbseacademic.nic.in / www.cbse.nic.in, etc. and to see all circulars on these CBSE websites regularly as most of the activities of the Board including submission of Registration of Class-IX and List of candidates for Class-X Board Examination are online and in electronic modes.

विद्यालय से यह भी अनुरोध है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम–1995 के साथ–साथ 2016 में यथा संशोधित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 स्वच्छ भारत अभियान, नकदी रहित लेन–देन एवं डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने, सीबीएसई से अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों, शिक्षक नियमावली सहित सभी नियमावली प्राप्त करने की प्रक्रिया/प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। जिससे कि, छात्रों के व्यापक शैक्षणिक हित में बोर्ड के निर्देशों के अनुसार उस प्रणाली को मजबूत किया जा सके। स्कूल बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार वेलनेस टीचर/काउंसलर की नियुक्ति भी सुनिश्चित करे। स्कूल शैक्षिक मानकों को बनाए रखना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेगा, इसके अलावा सी.डब्ल्यू.एस.एन विद्यार्थियों को नियमानुसार रैंप, शौचालय और व्हीलचेयर की उपलब्धता आदि सुविधाएं दी जाएँ। विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता।

You are requested to ensure implementation of procedure / provisions of 'Person with Disabilities Act-1995 read with as amended in 2016', Right of Children to Free and Compulsory Education Act-2009, promotion of Swachh Bharat Abhiyan, Cashless Transaction and Digital India, and to procure all the manuals including books, teachers manual (s) pertaining to the course of study from CBSE, so that system be strengthened as per instructions of the Board in the larger academic interest of the students. The school may also ensure to appoint Wellness Teacher/Counselor, as per guidelines of the Board. The school may ensure maintaining of Academic Standards, imparting of quality education, also due care be taken for CWSN candidates by providing all facilities including ramp, toilets & availability of wheelchair etc. to the categories and children as per rules. The school must ensure that, No candidate under CWSN may be disallowed from granting of admission on any pretext etc.

इसके अलावा, बोर्ड सभी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, जिसमें नए संबद्ध संस्थानों के पदाधिकारियों की आसानी और सुविधा के लिए, बोर्ड ने स्व–शिक्षण सामग्री पर एक प्रस्तुति तैयार की है जिसमें नए विद्यालयों के लिए आवश्यक उपयोगी जानकारी है, जो बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो पुराने विद्यालयों के लिए भी उपयोगी है, साथ ही बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्यों के लिए हैंडबुक, शिक्षकों के लिए हैंडबुक, छात्रों के लिए हैंडबुक और साइबर सुरक्षा पर हैंडबुक, जो इस पत्र के साथ विद्यालय की जानकारी और संदर्भ के लिए भेजी जा रही है, को भी प्रस्तावित किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या **Acad. 35/2020** के तहत नये सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के लिए विकसित स्व–शिक्षण सामग्री (एसएलएम) का अध्ययन करने का अनुरोध किया जाता है। साथ ही शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और तदनुसार नीति/नियम/एसओपी के कार्यान्वयन के लिए विद्यालय से अनुरोध किया जाता है कि वह मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 07/2023, 39/2023, 09/2023, 11/2023, 14/2023, 10/2023, 12/2023 और

इस कार्यालय पत्र संख्या **CBSE/RO/DDN/PA-RO/2023** दिनांक 05.04.2019, 18.04.2019 और 18.07.2019 का अवलोकन करना सुनिश्चित करे।

Besides, the Board has been taking various initiatives to strengthen the CBSE affiliates. For ease and convenience of the functionaries of newly affiliated institutions, the Board has prepared a presentation on Self Learning Material containing useful information required by new schools, which is available on Board's website which is useful for old schools also. The Board has also introduced – **Handbook for Principals; Handbook for Teachers; Handbook for Students and Handbook on Cyber Safety** which are being forwarded herewith this letter for information and reference of the school. **The school is requested to study the Self – Learning Material (SLM) developed by the Board for newly affiliated schools. Circular No. Acad. 35/2020. Also for maintaining of academic standards of the school & implementation of Policy/Rules/SOP's accordingly, the school is requested to ensure expediting circulars No. 07/2023, 39/2023, 09/2023, 11/2023, 14/2023, 10/2023, 12/2023 issued by HQ and this office letter No. CBSE/RO/DDN/PA-RO/2023 dated 05.04.2019, 08.04.2019 and 18.07.2019.**

विद्यालय द्वारा बोर्ड से किए जाने वाले प्रत्येक पत्राचार में संबद्धता संख्या, विद्यालय कोड, मोबाइल/फोन नंबर, ईमेल आईडी, विद्यालय के प्रधानाचार्य की मुहर और हस्ताक्षर सहित एक कवरिंग लेटर हेड होना अति–आवश्यक है, इससे विद्यालय को बोर्ड के साथ शीघ्र संवाद करने/आवश्यकता के अनुसार मामलों का निपटान एवं निष्पादन करने में मदद मिलेगी। विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित प्रकरणों के त्वरित निष्पादन हेतु, इस क्षेत्रीय कार्यालय के परिक्षेत्रांगत के विद्यालय अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ई–हरकारा के माध्यम से अपने अनुरोध भेजेंगे, जो कि विद्यालयों के लिए रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम है (ऑनलाइन के माध्यम से पेपरलेस कामकाज को सक्षम करने के लिए, फाइल के निर्माण, संदर्भ, पत्राचार संलग्नक, अनुमोदन और अंत में फाइलों के साथ–साथ रसीदों की आवाजाही और ट्रैकिंग के साथ पत्राचार को स्कैन करना, दर्ज करना और रूट करना), मूल/मैन्युअल दस्तावेज केवल आवश्यक होने पर और इस कार्यालय द्वारा मांगने/वांछित होने पर ही भेजे जा सकते हैं।

Each correspondence to the Board should have a covering letter bearing the Affiliation No., School No., Mobile/Phone No., email id, seal and signature of the Principal of the school and must be complete in all respect. This helps the Board to promptly communicate with school/disposal of cases as per requirement and improve efficiency. In order to improve efficiency, speedy disposal of communication, now onwards, the schools under the jurisdiction of this Regional Office will send their requests in electronic mode through **e-HARKARA.** The link for **e-HARKARA** is available at CBSE website. This Portal works at 2 stages, first at school level and second at department level. **Steps involved in using e-HARKARA have already been sent to all schools. It is Rapid Communication System for schools** (to enable a paperless functioning through online; scanning, registering and routing the correspondences along with creation of file, referencing, correspondence attachment, approvals and finally movement and tracking of files as well as receipts). **Original/manual documents may be sent only if necessary and desired by this office.**

बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सुनिश्चित करें कि, बोर्ड से पत्राचार करने से पूर्व कृपया बोर्ड के नियमों/उप–नियमों और बोर्ड के पत्र संख्या : COORD/PRINTING/2020 dated 01.09.2020 को जारी फ्रेमवर्क एण्ड सिगनिफिकेंट गाईडलाईन में उल्लेखित महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन/अनुसरण किया जाए, और यह भी सुनिश्चित करें कि, बोर्ड को प्रस्तुत किए गए मामले नियमानुसार हों।

Please ensure that the **Rules / Guidelines / Bye-Laws of the Board** and **Framework and Significant Guidelines in the Context of the Secondary and the Senior School Certificate Examination** issued vide letter no. **COORD/PRINTING/2020** dated **01.09.2020** are carefully studied / followed and be taken care before making any correspondence to this office or sending case / communication, SOP must be taken care in reference to implementation of system / procedures / rules.

In case of any difficulty/queries, following contact details of the office are for information and any assistance etc. :-

Officer with Designation& Branch	**Telephone No.**	**Email address**
O/o the Regional Officer	0135 - 2757744 + Ext- 201	roddn.cbse@nic.in
Deputy Secretary	EPABX No.+ Ext- 203	
Assistant Secretary	EPABX No. + Ext- 305	
Accounts & Finance Section	EPABX No. + Ext-101	roddn.cbse@nic.in
Computer / IT Cell – For all technical queries.	EPABX No. + Ext- 205 Helpline No- 7579214383	
Confidential Unit (CNS, HE, Examiners, Practical Examiners/ Evaluation)	EPABX No. + Ext-301 Helpline No- 7310704042	
EPABX numbers of Regional Office - Dehradun	**0135-2757744, 2757766, 2753248, 2753250, 2753249** **Ext. Numbers –** M&M – 108, R&I – 109, Computer – 205, Accounts – 101, Stores & Purchases – 106, Exam X – 103, Exam XII – 102, Confidential – 301, O/o RO – 204, Admin & Legal – 206	

भवदीय,

Yours faithfully,

(गोपाल दत्त)

(Gopal Datt)

उप सचिव

Deputy Secretary

नोटः–

NOTE :-

1. इस पत्र के किसी भी बिन्दु या नियम की व्याख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न पर, अंग्रेजी संस्करण को सही माना जाएगा।

On any question pertaining to its interpretation of any provision of this letter, The English version shall be treated as correct.